

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275530
SG-DL-E-17082026-275530

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 167
No. 235]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948	[N. C. T. D. No. 167

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 11 अगस्त, 2026

फा. सं. 21/17/DFS(A)/2026/LAS-VIII/Legn./5996.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026

2026 का विधेयक संख्यांक 12

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 11 अगस्त, 2026 को पुरःस्थापित किया गया)

2026 का विधेयक संख्यांक 12

दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026**विधेयक**

दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। — (1) इस अधिनियम का नाम दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह उस तिथि से लागू होगा जिसे सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन — दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 (2009 का दिल्ली अधिनियम 2) की धारा 2 के खंड (i) में, "भवन उप-विधि/भारत का राष्ट्रीय भवन कोड" (building bye-laws/National Building Code of India) शब्दों के स्थान पर "भवन उप-विधि" (building bye-laws) शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

आशीष सूद, प्रभारी मंत्री

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 (2009 का दिल्ली अधिनियम 2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अग्निशमन सेवा के रखरखाव और कुछ भवनों एवं परिसरों में अग्नि निवारण तथा अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान करने और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम को 17 जनवरी, 2009 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।

2. संशोधन की आवश्यकता

दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 की धारा 2(i) में "भारत का राष्ट्रीय भवन कोड" (National Building Code of India) का संदर्भ शामिल है। वैधानिक ढांचे में शामिल होने के कारण यह संदर्भ उक्त कोड के लिए एक विशिष्ट विधायी संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विनियमन अभ्यास (Deregulation Exercise) के हिस्से के रूप में, दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 में "भारत का राष्ट्रीय भवन कोड" के संदर्भ को हटाने का प्रस्ताव है। इसलिए, अधिनियम और नियमों के बीच निरंतरता बनाए रखने तथा एक अनावश्यक वैधानिक संदर्भ को हटाने के लिए मूल अधिनियम में तदनुरूपी संशोधन करना आवश्यक और समीचीन समझा गया है।

3. प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्य और प्रभाव

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 की धारा 2(i) से "भारत का राष्ट्रीय भवन कोड" के संदर्भ को हटाना है।

इस संशोधन का उद्देश्य एक ऐसे वैधानिक संदर्भ को हटाना है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे में दोहराव या अतिव्यापन (overlap) हो सकता है।

प्रस्तावित विलोपन दिल्ली में लागू मौजूदा आवश्यकताओं और मानकों के अनुसार, लागू भवन उप-विधियों के माध्यम से अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं के निर्धारण, संशोधन और अद्यतनीकरण को सुगम बनाएगा।

इस प्रकार, यह संशोधन हर ऐसे बदलाव के लिए मूल अधिनियम में विधायी संशोधन की आवश्यकता के बिना, बदलते तकनीकी, प्रशासनिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को लचीला बनाए रखने के लिए अधिक नियामक लचीलापन प्रदान करेगा।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

नई दिल्ली;

दिनांक: _____, 2026.

आशीष सूद, प्रभारी मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2007 की धारा 2(i) से "भारत का राष्ट्रीय भवन कोड" के संदर्भ को हटाने का प्रयास करता है।

विधेयक के प्रावधानों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कोई आवर्ती (recurring) या अनावर्ती (non-recurring) व्यय शामिल नहीं है।

आशीष सूद, प्रभारी मंत्री

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

यह विधेयक सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण को नियम या विनियम बनाने की कोई नई शक्ति प्रदान करने का प्रयास नहीं करता है। तदनुसार, प्रत्यायोजित विधान के संबंध में किसी भी विषय के प्रावधान का प्रश्न ही नहीं उठता।

आशीष सूद, प्रभारी मंत्री

डॉ. युमनाम अरूण कुमार, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th August, 2026

F. No. 21/17/DFS(A)/2026/LAS-VIII/Legn./5996.—The Following is Published for General Information:—

THE DELHI FIRE SERVICE (AMENDMENT) BILL, 2026

A Bill No. 12 of 2026

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 11th August, 2026)

Bill No. 12 of 2026

THE DELHI FIRE SERVICE (AMENDMENT) BILL, 2026**A BILL**

further to amend the Delhi Fire Service Act, 2007.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows: —

1. Short title and commencement. —

(1) This Act may be called the **Delhi Fire Service (Amendment) Act, 2026**.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2 - In the Delhi Fire Service Act, 2007 (Delhi Act 2 of 2009), in section 2, in clause (i), for the words “ **building bye-laws/National Building Code of India**”, the words “**building bye-laws**” shall be substituted”.

ASHISH SOOD, Minister-in-Charge

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Fire Service Act, 2007 (Delhi Act 2 of 2009) was enacted to provide for the maintenance of a fire service and to make more effective provisions for fire prevention and fire safety measures in certain buildings and premises in the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith. The said Act received the assent of the President of India on the 17th January, 2009.

2. Need for the amendment

Section 2(i) of the Delhi Fire Service Act, 2007 contains a reference to the “**National Building Code of India**”. The reference, having been incorporated in the statutory framework, operates as a specific legislative reference to the said Code.

As part of the **Deregulation Exercise undertaken by the Government of India**, the reference to the National Building Code of India in the Delhi Fire Service Rules, 2010 is proposed to be omitted. It is, therefore, considered necessary and expedient to make a corresponding amendment in the Principal Act so as to maintain consistency between the Act and the Rules and to remove an unnecessary statutory reference.

3. Objects and effect of the proposed amendment

The proposed amendment seeks to omit the reference to the “**National Building Code of India**” from section 2(i) of the Delhi Fire Service Act, 2007.

The amendment is intended to remove a statutory reference which may result in duplication or overlap with the regulatory framework governing fire prevention and fire safety measures in the National Capital Territory of Delhi.

The proposed omission would facilitate the prescription, modification and updating of fire prevention and fire safety requirements through the applicable **Building Bye-Laws**, in accordance with the prevailing requirements and standards applicable in Delhi.

The amendment would thereby provide greater regulatory flexibility for keeping fire prevention and fire safety requirements responsive to changing technical, administrative and regulatory requirements, without necessitating a legislative amendment to the principal Act for every such change.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

NEWDELHI;
Dated: _____, 2026.

ASHISH SOOD, Minister-in-Charge

FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to omit the reference to the “**National Building Code of India**” from section 2(i) of the Delhi Fire Service Act, 2007.

The provisions of the Bill do not involve any expenditure, recurring or non-recurring, from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.

ASHISH SOOD, Minister-in-Charge

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Bill does not seek to confer any new power to make rules or regulations upon the Government or any other authority. Accordingly, the question of providing for any matter in respect of delegated legislation does not arise.

ASHISH SOOD, Minister-in-Charge

Dr. YUMNAM ARUN KUMAR, Secy.